हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Raipur Bhoomi - 19 Aug 2025 - Page 4

कलेक्टर के आदेश के बाद होगी कार्रवाई

कुर्की रोकने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

सूदखोर तोमर भाइयों को सरेंडर करने कोर्ट ने 18 अगस्त तक उद्घोषणा जारी की थी। उद्घोषणा की अवधि सोमवार को समाप्त हो गई। बावजूद इसके सूदखोरी, एक्सटार्सन, ब्लैकमेलिंग, मारपीट, आर्म्स एक्ट के फरार आरोपी वीरेंद्र तोमर, रोहित तोमर पेश नहीं हुए। कोर्ट के आदेशानुसार उद्घोषणा अवधि समाप्त होने के बाद दोनों भाइयों की चार संपत्ति कुर्क की जानी है। कुर्की की कार्रवाई से बचने तोमर भाइयों ने अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट में पूर्व में याचिका दायर की थी, जो खारिज हो चुकी है। इसके बाद दोनों भाइयों ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

- मियाद समाप्त होने के बाद भी सूदखोर तोमर भाइयों ने नहीं किया सरेंडर

पुलिस अफसरों के अनुसार कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद भी जब तक सुनवाई नहीं होती, कलेक्टर आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने आदेश जारी कर सकता है। आरोपियों के पक्ष में फैसला आने पर कुर्की हटा दी जाएगी। बचाव पक्ष के वकील ने आरोप लगाया है कि मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में पेंडिंग है, इस वजह से संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई गलत है। पुरानी बस्ती सीएसपी के अनुसार कोर्ट के प्रतिवेदन के आधार पर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई अब राजस्व विभाग के अफसर करेंगे। संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई के दौरान पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराएगी।

पुलिस के आवेदन पर कोर्ट ने दी स्वीकृति, कलेक्टर को भेजा प्रतिवेदन
हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधु को मिली मोहलत
आज होगी खत्म, फिर होगी संपत्ति कुर्क

आरोपियों की पतासाजी अब भी जारी

पुलिस तथा क्राइम ब्रांच की टीम फरार सूदखोर तोमर भाइयों की पतासाजी करने अब भी जुटी हुई है। तोमर भाइयों के बारे में पुलिस को अब तक किसी भी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों के मोबाइल सर्विलांस में रखे जाने के बावजूद सूदखोर भाइयों के लोकेशन के बारे में पुलिस को अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। तोमर भाइयों से जुड़े लोगों से पुलिस पूछताछ लगातार जारी है।

गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की हो रही किरकिरी

दो माह से ज्यादा समय से फरार तोमर भाइयों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की किरकिरी हो रही है। इसीलिए पुलिस अफसर तोमर भाइयों की संपत्ति जल्द से जल्द कुर्क हो, इसके लिए प्रयास कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद सूदखोर भाइयों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई में तेजी आ सकती है। इसकी वजह सरेंडर करने की समय सीमा समाप्त होना भी है।

डॉ. चंद्राकर अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त

रायपुर। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एण्ड फिजीशियन्स ग्लासगो, यूके ने विश्वभर से आए अनेक आवेदनों में से डॉ. नीरज चंद्राकर को चुनिंदा विशेषज्ञों में शामिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने और क्लीनिकल उत्कृष्टता की दिशा में सतत प्रयासों के कारण की गई है। अपनी नियुक्ति पर डॉ. चंद्राकर ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व और सम्मान का विषय है। मैं इस अवसर का उपयोग भारत और वैश्विक चिकित्सा समुदाय के बीच सेतु निर्माण, ज्ञान विनिमय को प्रोत्साहित करने और रोगी देखभाल के उच्चतम मानकों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करूंगा। साथ ही अपने सहयोगियों, शुभचिंतकों का आभार जताया।